

#1235

ग्रामीण सेवा शिविर-2025



न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)
(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - खानाबान्)

धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 98 (81) तयार दिनांक 3/10/2025 निर्णय दिनांक 3/10/25

क्र.सं.	नाम-ग्राम	स्थान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	साखा का खेड़ा	५३	<p>महोदय जी, निवेदन है कि गुत्ताविक बैंक आदेश क्रमांक / 2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ीदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना जचित है। गुल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>वाराणसाह युव ड्रीअरसाह जाट सा. देह रदन बड़ोदा राजस्थान इसरीय ग्रामीण बैंक शाखा Dhamnera</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>वाराणसाह युव ड्रीअरसाह जाट सा. देह रदन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा Dhamnera</p> <p>31.10.25 03.10.25</p> <p>तहसीलदार कपासन जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>	<p>कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश</p> <p>तहसारीदार कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज. भू.सा. अधि. 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>खानाबान्</u> का बूदा प.ह. <u>नुराविया खेड़ा</u> खातासं <u>५७७</u> में वर्तमान प्रविष्टि बड़ीदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

पदेन सहायक कलक्टर कपासन

3/10/2025
तहसीलदार कपासन
जिला-चित्तौड़गढ़

तहसीलदार कपासन
जिला-चित्तौड़गढ़

तहसीलदार कपासन